

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.10(56)नविवि/3/2006


जयपुर, दिनांक:

01 FEB 2024

अधिसूचना


विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02.06.2007 के क्रम में राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 7 के अन्तर्गत अनुमोदित सलूमबर मास्टर प्लान-2023 की समयावधि दिनांक 30.12.2023 को समाप्त हो चुकी है, को एतद्वारा दिनांक 31.12.2024 अथवा नया मास्टर प्लान प्रारूप का प्रकाशन होने तक जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाया जाता है।

यह मास्टर प्लान इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21.03.2003 एवं 17.04.2007 के द्वारा अधिसूचित "सलूमबर नगरीय क्षेत्र" के लिए लागू रहेगा।


(जुगल किशोर मीणा)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, सलूमबर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, नगर परिषद, सलूमबर।
7. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
8. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सलूमबर।
9. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय